

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) श्री राहुल सेनी

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सेनी आर.ए.एस.**

उनवान अश्वपालसिंह बनाम राजाधान साका इन्फो

दावा बाबत नाम डुरस्ती

मुकदमा नम्बर :- 1321/2021

निर्णय दिनांक :- 01.12.2021

वादी की ओर से अश्वपालसिंह की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.12.2021 को **श्री राहुल सेनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी अश्वपालसिंह

किताबका वृत्ति मुक्ति देती प्राप्त श्री राजाधान साका इन्फो की जानकारी  
जानाना 240 वा दर्ज अश्वपालसिंह डुरस्ती सिंह के प्लान वा  
अश्वपालसिंह डुरस्ती सिंह दर्ज करने के अदेश दिने जाते हैं।  
जधनीमदूर, चूरु उम्मानुसार राजस्थान रिजर्व में इन्फो  
दरमद के डुरस्ती नाम डुरस्ती के सम्बन्ध में कोई विवाद  
इपन होता है तो डुरस्ती समस्त सम्भेवारी कारी की होगी।  
खचा पक्षकारान अपना-अपना वहन करमे।

यह आज तारीख 01.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



01/12/21  
( राहुल सेनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



1389  
1-12-21